



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

16वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

गुरुवार, दिनांक 27 जून, 2019

Notice for 16th Annual General Meeting

Thursday, June 27, 2019

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

टेली./Tel.: 020 25511360 **ई-मेल/Email:** investor_services@mahabank.co.in

वेबसाइट/Website: www.bankofmaharashtra.in



अनुसूची / INDEX

विवरण	पृष्ठ क्रमांक	Particulars	Page No
नोटिस	3	Notice	11
टिप्पणियां	5	Notes	13
मद क्र. 2 और 3 के लिए स्पष्टीकरण कथन	9	Explanatory Statement to Item no. 2 and 3	16
उपस्थिति पर्ची/ प्रवेश पास	19	Attendance Slip/ Entry pass	20
प्रॉक्सी फॉर्म	21	Proxy Form	22
ई-मेल आईडी पंजीकरण फॉर्म	23	Email ID Registration Form	24
ईसीएस फॉर्म	25	ECS Form	26

16वीं वार्षिक साधारण बैठक / 16th Annual General Meeting

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 संलग्न है
ANNUAL REPORT 2018 -19 ENCLOSED

महत्वपूर्ण दिनांक और कार्यक्रम
IMPORTANT DATES AND PROGRAMME

कार्यक्रम / Events	दिनांक / Date
ई-वोटिंग अवधि / E-Voting period	24 जून 2019 को सुबह 9.00 बजे से 26 जून 2019 को सायं 5.00 बजे तक/ From 9.00 a.m, 24 th June, 2019 To 5.00 p.m, 26 th June, 2019
प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए प्रॉक्सी फॉर्म और संकल्प प्राप्त करने का अंतिम दिनांक / Last date for receipt of Proxy forms and resolutions for appointing authorized representatives	21 जून, 2019 को सायं 5.00 बजे तक 21 th June, 2019 by 5.00 p.m
बही बंदी / Book Closure	20 जून, 2019 से 27 जून, 2019 तक / 20 th June, 2019 to 27 th June, 2019
वार्षिक साधारण बैठक का दिनांक, समय और स्थल/ Date, time and venue of Annual General Meeting	गुरुवार, 27 जून, 2019 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005 Thursday, 27 th June, 2019 at 10.30 a.m at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501 Shivajinagar, Pune 411005.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय: “लोकमंगल”, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005.

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की सोलहवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) गुरुवार दिनांक 27 जून 2019 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में निम्नलिखित कारोबार करने हेतु होगी :

सामान्य व्यवसाय :

मद क्रमांक 1

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते और उसी दिन समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, बैंक के खातों और तुलनपत्र व खातों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधियों तथा कार्यनिष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना।

विशेष व्यवसाय :

मद क्रमांक 2

एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू इत्यादि के माध्यम से पूंजी उगाहना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“अधिनियम”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (“विनियम”), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) और/ या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमतियाँ, यदि कोई हों, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है, और विनियम यथा सेबी (पूंजी जारी करना और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (“आईसीडीआर विनियम”) के अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) की अधिसूचनाओं/परिपत्रों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य लागू कानूनों व अन्य सभी संदर्भित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार यथा संशोधित/ अद्यतन दिशानिर्देशों, यदि कोई हों और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अधीन, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठित की जाने वाली कोई समिति जो अपने अधिकारों तथा इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार भारत और विदेशों में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणपत्र या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से बैंक की प्राधिकृत पूंजी सीमा के अंदर ₹10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के, समग्र रूप से जो ₹10,000/- करोड़ (दस हजार करोड़ रुपए मात्र) से अधिक न हों, इक्विटी शेयरों का (फर्म आबंटन के लिए और/अथवा निर्गम का कोई भाग प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथासमय लागू कानून द्वारा अनुमत्य श्रेणी के व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधान सहित) इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करेगा, ताकि हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% केंद्र सरकार के पास हो, चाहे वे बाजार मूल्य के प्रीमियम पर किसी एक या अधिक ट्रेच, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (“एनआरआई”), कंपनियों- निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थानों, सोसायटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, के लिए में, योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईपी”) जैसे विदेशी संविभाग निवेशकों (“एफपीआई”), बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य इकाइयों, प्राधिकारियों या जो वर्तमान विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की इक्विटी शेयरों / प्रतिभूति में निवेश करने के लिए अधिकृत हों, या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी संमिश्र के रूप में हों।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन या तो सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), अधिमानी इश्यू या तत्संबंधी संमिश्र अनुसार या अधि-आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना किया जाए या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018 (“आईसीडीआर विनियम”) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) व किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे समय, उतनी बार में, ऐसी पद्धति से और ऐसी शर्तों पर किया जाए, जो निदेशक मंडल को उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उचित लगता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/ या हामीदारों (अंडरराईटर) और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आईसीडीआर विनियम के अनुसार निर्धारित ऐसी शर्तों और दिशानिर्देशों, अन्य नियमों और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों के उपबंधों के अनुसार बैंक के निवेशकों, चाहे वे बैंक के मौजूदा शेयरधारक हों या न हों, हेतु ऐसी कीमत या ऐसी रीति से शेयर की कीमतें तय करने का अधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कीमत से कम नहीं होंगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि संबंधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों (एलओडीआर विनियमों), अधिनियम, विनियमों के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के निवासी द्वारा जारी या हस्तांतरित निर्गम) विनियम 2017 के प्रावधानों और सेबी, शेयर बाजारों, आरबीआई, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और यथावश्यक अन्य सभी प्राधिकारियों (इसके बाद जिसे समग्र रूप से “समुचित प्राधिकारी” कहा जाएगा) से अपेक्षित स्वीकृति, सहमति, अनुमति और/या ऐसा अनुमोदन (इसके बाद जिसे अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक मंडल, अपने पूर्ण



विवेकाधिकार से, एक या अधिक ट्रेच में, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय आठ में उल्लिखित है, के तहत प्लेसमेंट दस्तावेज/ लेखन / परिपत्र / ज्ञापन और ऐसी पद्धति से और ऐसी कीमत पर, और ऐसी शर्तों पर, जो आईसीडीआर विनियम या यथासमय विद्यमान कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई हो, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में परिभाषित किए अनुसार) के लिए वारंट को छोड़कर, इक्विटी शेयर या किसी प्रतिभूति का इस रूप से सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सकता है, जो एक बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में इस प्रकार परिवर्तनीय हों या उनकी अदला-बदली की जा सकती हो, कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% से कम हिस्सा न हो।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में -

क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार केवल योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन को इस प्रस्ताव की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।"

ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक, विनियमों के अनुसार अधिकृत आधार मूल्य में अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर शेयर खरीदने की पेशकश कर सकता है।

ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक दिनांक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार/ भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते / देते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/ अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन, यदि कोई हो, यथालागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन और उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के भीतर होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त जारी होने वाले नए इक्विटी शेयर, यथासंशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बट्टे) विनियम, 2004 के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि किसी निर्गम या इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना हो, ऐसे निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम के मूल्य, निदेशक मंडल को अपने पूर्ण अधिकार से जो उचित लगे, निर्गम की प्रीमियम राशि तय करने, ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने या सार्वजनिक निर्गम जारी होने, आबंटन और निर्गम आय के उपयोग के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित अनुदेश जारी करने, निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बैंक के सर्वोत्तम हित में जैसा उचित समझे, नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए और ऐसे संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, सुधार, विलोपन, अतिरिक्त नियम और शर्तें जोड़ने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना इनको प्रभाव देने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक व निदेशक मंडल को प्रदत्त कोई या सभी शक्तियों का निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को इसके द्वारा किसी भी बुक-रनर (रनर्स)/ अग्रणी प्रबंधक(कों)/ हामीदार(रों)/ निक्षेपक(कों)/ रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव से सम्बद्ध और शामिल ऐसी सभी एजेंसियों के साथ करार करने और ऐसी सभी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने के लिए और ऐसी सभी एजेंसियों व संस्थानों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने और इसमें प्रवेश भी करने और ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापन, दस्तावेजों, आदि को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों (अंडरराइटर्स), अन्य सलाहकारों और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से एतद्वारा निर्गम(निर्गमों) के स्वस्थ और शर्तों, निवेशकों के वर्ग सहित जिन्हें शेयर/ प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित होने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि कोई हो सहित), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के उन्मोचन/ वारंट/ प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन की प्रीमियम राशि, ब्याज की दर, शोधन अवधि, परिवर्तित, उन्मोचित या निरस्तकरण के आधार पर अन्य प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन का प्रीमियम, ब्याज की दर, अभिलेख दिनांक या लेखा बंदी दिनांक और उससे संबंधित आकस्मिक मामले, भारत और/ अथवा विदेशों में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने के बारे में निदेशक मंडल को संपूर्ण विवेकाधिकार में, जैसा उचित समझे, निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि अनभिदत्त इक्विटी शेयरों को निदेशक मंडल द्वारा उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में, जिस रूप में वह उचित समझे, और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत्य हो, इन शेयरों की बिक्री के बारे में निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने/ प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।



यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा उसे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे इस उक्त प्रस्ताव को प्रभाव देने हेतु उचित समझे, यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

मद क्र. 3

31.03.2019 को बैंक की संचयी हानियों का समंजन करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“**प्रस्ताव किया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 3(2बीबीए), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 17(2) जिसमें कोई सांविधिक संशोधन या उसका पुनर्अधिनियमन शामिल है और जो भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और इस संबंध में आवश्यक समझे गए किन्हीं अन्य प्राधिकारियों, बैंक के शेयरधारकों की सहमति से, 31.03.2019 को बैंक की संचयी हानि ₹7360,29,19,342.43 (रुपए सात हजार तीन सौ साठ करोड़ उनतीस लाख उन्नीस हजार तीन सौ बयालीस और तिरालीस पैसे मात्र) के समायोजन हेतु अंतरण द्वारा बैंक के शेयर प्रीमियम खाते और राजस्व आरक्षिती में जमा शेष में समायोजन की तारीख को राशि उपयोग की जाए और इसे चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ध्यान में लिया जाए।”

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उक्त प्रस्ताव के लिए निदेशक मंडल या निदेशक मंडल की किसी समिति को एतद्वारा प्रस्ताव के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक या वांछित माने गए ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने और इस संदर्भ में उत्पन्न हो सकनेवाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु, इसके संपूर्ण विवेकाधिकार में प्राधिकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 21 मई 2019

(ए. एस. राजीव)

स्थान : पुणे

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टिप्पणियां

1. बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां मद क्र. 2 और 3 में संलग्न हैं।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

शेयरधारक जो वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु पात्र है वह अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु प्रॉक्सी (बैंक के कर्मचारी या अधिकारी को छोड़कर) की नियुक्ति कर सकते हैं तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियम 2004 के विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी की लिखत प्रदान करने वाले व्यक्ति को उस बैठक में व्यक्तिशः वोट करने का अधिकार नहीं होगा जिस बैठक से वह लिखत संबंधित हो। प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह इस नोटिस के अनुलग्नक फॉर्म "बी" में न हो।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 के पते पर बैठक के दिनांक से न्यूनतम चार दिन पहले अर्थात् **शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2019** को बैंक के कार्य समापन समय अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक है, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो। संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए जिसमें वह पारित किया गया हो तथा वह बैंक के प्रधान कार्यालय में ऊपर दिए गए पते पर वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से न्यूनतम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2019** को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा की जानी चाहिए।

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची (उपस्थिति पर्ची) :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म का उपयोग कर अपने वोट देने का विकल्प उपलब्ध है। यदि उन्होंने ई-वोटिंग सुविधा नहीं ली है तो वे वार्षिक साधारण बैठक के दिनांक को बैठक स्थल पर निर्वाचन में अपना वोट दे सकते हैं। ऐसे शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में मुद्रित ब्यौरों की जांच करें और रिक्त स्थानों, यदि कोई हैं, की पूर्ति करें और उसमें दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची बैठक के स्थान पर दें। प्रॉक्सी/ शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची पर "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जो भी स्थिति हो, उसका उल्लेख करें।

जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट दिया है वे बैठक में सहभाग ले सकते हैं, किंतु वे बैठक में पुनः अपना वोट देने हेतु पात्र नहीं होंगे।



5. बहियों का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही **शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2019 से गुरुवार 27 जून 2019** (दोनों दिन मिलाकर) तक वर्ष 2018-19 के लिए 16वीं वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य, यदि कोई है, के लिए बंद रहेंगे।

6. वार्षिक साधारण बैठक स्थल तक पहुंचने का रूट-मैप संलग्न है।

7. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कोई लाभांश अनुशंसित नहीं किया है।

8. शेयरधारकों से अनुरोध :

कृपया नोट करें कि जिन शेयरधारकों ने बैंक/ आरटीए में अपने ई-मेल आई-डी पंजीकृत नहीं किए हैं उन्हें वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 और एजीएम नोटिस की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक/ कुरियर की सेवाओं का उपयोग कर अलग से भेजी गई हैं और जिन शेयरधारकों ने बैंक / आरटीए में अपने ई-मेल आई-डी पंजीकृत किए हैं उन्हें ई-मेल द्वारा उनके ई-मेल आईडी पर सॉफ्ट प्रतियां भेजी गई हैं। वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट [www.bankofmaharashtra.in / Share-holders-Meeting-Updates.asp](http://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.asp) पर भी प्रदर्शित की गई है। वार्षिक साधारण बैठक में वार्षिक रिपोर्ट वितरित नहीं की जाएगी अतः सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आएं।

क. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि पते में कोई बदलाव हो तो कृपया वैध दस्तावेजी साक्ष्यों और समुचित रूप से हस्ताक्षरित सामान्य अनुरोध आवेदन के साथ तत्काल बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को सूचित करें।

ख. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि पते में कोई बदलाव हो तो कृपया केवल अपने निक्षेपी सहभागी को सूचित करें न कि बैंक या बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को।

ग. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट से किसी भी प्रकार के संप्रेषण में अपने संबंधित फोलियो क्रमांक/ क्रमांकों (भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक) और अपने संबंधित डीपीआईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक/ डी-मैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक) का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.asp> से डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप में डिजिटरी पार्टिसिपेंट (डिमाटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारित करने के मामले में) या एमसीएस शेयर अंतरण लिमिटेड/बैंक (भौतिक रूप में शेयर धारित करने के मामले में) के पास अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत /अद्यतित कर हरित पहल को सहयोग दें।

10. फोलियो का समेकन :

एक से अधिक फोलियो/ खाते के अंतर्गत नामों के समरूप क्रम में भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाणपत्र सहित ऐसे खातों के लेजर फोलियो सूचित करें ताकि वो सभी धारिताओं को एक खाते में समेकित कर सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के पश्चात शेयरधारकों को शेयर प्रमाणपत्र यथासमय वापस कर दिए जाएंगे।

11. भौतिक धारिता को डी-मैट रूप में बदलना:

सेबी ने हाल ही में सेबी (लिसिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों का संशोधन किया है जिसमें 01 अप्रैल 2019 से भौतिक रूप से धारित प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए अनुरोध स्वीकार करने से सूचीबद्ध कंपनियों को मना किया है। यदि शेयरधारक इस तिथि के बाद भी भौतिक रूप में शेयर रखने हैं तो वे आगे अंतरण हेतु बैंक, इसके आरटीए के पास शेयर दर्ज नहीं कर पाएंगे। यदि वे कोई अंतरण करना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से इन्हें डीमैट रूप में परिवर्तित करना होगा। भौतिक रूप में केवल प्रतिभूतियों का हस्तांतरण और स्थलांतरण अनुरोध ही आरटीए द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक पार्टिसिपेंट द्वारा स्थायी खाता क्रमांक (पैन) प्रस्तुतीकरण अनिवार्य किया है। अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि उन डिजिटरी पार्टिसिपेंट को अपना पैन प्रस्तुत करें जिनके पास उनके डी-मैट खाते हैं। भौतिक रूप से शेयर धारित करनेवाले शेयरहोल्डर 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/एमआई/आरएसडी/डीओपी1/परि/P/2018/73 के अनुसरण में बैंक के आर एंड टी एजेंट को अपना पैन और अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करें।

12. अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश, यदि कुछ हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधित) अधिनियम 2006 (जो दिनांक 16.10.2006 से लागू हुआ) के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/ अदावाकृत रहती है तो यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षण और संरक्षण" निधि (आईईपीएफ), को अंतरित की जाएगी।

तदनुसार उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 से अदत्त / अदावाकृत रही लाभांश की ऐसी सभी राशियों को "निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि" (आईईपीएफ) को अंतरित किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए अदत्त/ अदावाकृत शेष रहे लाभांशों का अंतरण निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उक्त निधि में कर दिया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों (वर्ष 2011-12 से आगे) के लिए लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पते पर बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से या निम्नलिखित पते पर पुणे में बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क करें:



एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,
(इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र),
ए-209, दूसरी मंजिल, सी- विंग
गोकुल इंडस्ट्रियल इस्टेट, सागबाग
मारोल इंडस्ट्रियल एरिया, टाहम स्क्वेयर के पीछे
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059
फोन: (022) 28516020/21/22
ई-मेल: subodh@mcsregistrars.com
mparase@mcsregistrars.com

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
निवेशक सेवाएं विभाग
'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर
पुणे - 411 005
फोन: (020) 25511360
ई-मेल: compsec@mahabank.co.in
investor_services@mahabank.co.in

13. मतदान अधिकार :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समनरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक से मतदान अधिकारों का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संदर्भ में रजिस्टर में पहले नाम वाले व्यक्ति को उसका एकल धारक माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्तधारकों के नाम पर है तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को ही बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा और बैठक में केवल वही कार्यसूची मदों पर रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

14. ई-वोटिंग प्रक्रिया :

क. कार्यसूची मदों 1, 2 और 3 के लिए नियत दिनांक:

यथासंशोधित कंपनियों (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में कार्यसूची मद क्र.1, 2 और 3 के संबंध में शेयरधारकों का मतदान अधिकार **गुरुवार, 20 जून 2019** को माना जाएगा।

ख. रिमोट ई-वोटिंग :

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। निर्दिष्ट दिनांक और/या नियत दिनांक को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डीमटेरियलाइज्ड रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे। सोमवार दिनांक 24 जून, 2019 को सुबह 9.00 बजे से बुधवार, दिनांक 26 जून 2019 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा।**

I. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार है -

क. ई-वोट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण कर-

(i) निम्नलिखित यूआरएल टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर लांच करें - <https://www.evotingindia.com/>

(ii) शेयरहोल्डर **लॉग-इन** पर क्लिक करें

(iii) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।

क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें

(iv) अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार ईमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।

(v) यदि आपने अपने शेयर डीमैट रूप में धारित किए हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी की वोटिंग में वोट किया है तो आपका विद्यमान पासवर्ड उपयोग किया जाना है।

(vi) यदि आप पहली बार यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:



	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन * प्रविष्ट करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ ही भौतिक शेयरधारकों दोनों पर लागू) <ul style="list-style-type: none"> जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले 2 अक्षरों का तथा अनुक्रम क्रमांक (sequence number) के 8 अंकों का उपयोग करें। यदि अनुक्रम क्रमांक 8 अंकों से कम है तो बड़े अक्षरों में नाम के पहले 2 अक्षरों के पश्चात क्रमांक से पूर्व लागू संख्या में शून्य प्रविष्ट करें। उदाहरण यदि आपका नाम रमेश कुमार है और आपका अनुक्रम क्रमांक 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (डीओबी)	लॉग-इन करने के लिए बैंक/आरटीए के अभिलेख में या आपके डीमैट खाते में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (dd/mm/yy प्रारूप में) प्रविष्ट करें। <ul style="list-style-type: none"> यदि डिजिटल या कंपनी के पास दोनों ही ब्यौरे दर्ज न किए गए हों तो कृपया अनुदेश (iii) में उल्लेख किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।

- vii) ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।
- viii) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे ही बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अब "पासवर्ड क्रिएशन" मेनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।
- ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।
- x) आपने जिस पर वोट करने का चयन किया है उस संबंधित <BANK OF MAHARASHTRA> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- xi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको "रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "यस/नो" विकल्प होंगे। आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सहमत देते हैं और विकल्प नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
- xii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरे देखने के इच्छुक हैं तो "रिजॉल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

कार्यसूची मद क्र. 1, 2 और 3 के लिए

- xiii) मतदान पृष्ठ पर **नियत दिनांक** (20 जून 2019) को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी।
- xiv) कार्यसूची मद क्र. 1, 2 और 3 के संबंध में, आप मामले के अनुसार एसेंट या डिसेंट पर क्लिक कर सकते हैं। उचित विकल्प का चयन करके अपना मत दें और **"सबमिट"** पर क्लिक करें और प्रदर्शित होने पर **"कन्फर्म"** पर क्लिक करें।
- xv) एक पुष्टि (कन्फर्मेशन) बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट में परिवर्तन करने के लिए "कैन्सल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।
- xvi) एक बार संकल्प पर अपना वोट "कन्फर्म" करने के पश्चात आपको अपने वोट में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- xvii) आप वोटिंग पृष्ठ पर "क्लिक हियर टू प्रिंटड" विकल्प पर क्लिक कर किए गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xviii) यदि आपके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और आप अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आई-डी और इमेज सत्यापन कोड टाइप करें तथा फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं सिस्टम द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करें।
- xix) **शेयरधारक एनड्रॉयड आधारित मोबाइल के लिए उपलब्ध सीडीएसएल के मोबाइल ऐप एम-वोटिंग के माध्यम से भी वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप्पल और विंडोज फोन का इस्तेमाल करनेवाले लोग क्रमशः ऐप स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल से वोट करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए दिशानिर्देशों का पालन करें।**
- xx) **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट**
- क) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि को छोड़कर) और अभिरक्षकों से अनुरोध है कि www.evotingindia.com पर लॉग-इन करें और स्वयं को कॉर्पोरेट्स के रूप में पंजीकृत करें।
- ख) इकाई के हस्ताक्षर और मुहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर तथा सीसी scrutiniser@snaco.net ई-मेल की जाए।
- ग) लॉग-इन ब्यौरे प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कम्प्लायन्स यूजर निर्मित किया जाए।



कम्प्लायन्स यूजर उस खाते(खातों) को लिंक करने में समर्थ होगा जिनके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं।

घ) लॉग-इन में लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट डालने में समर्थ होंगे।

ड) बोर्ड रिजोल्यूशन और मुख्तारनामा (पीओए) जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन प्रति संवीक्षक के सत्यापन हेतु प्रणाली में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड की जानी चाहिए।

ख. यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका है या मुद्दा है तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या आप श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सीडीएसएल, 'ए' विंग, 25वां तल, मैराथॉन फ्यूच्यूरिक्स, मफतलाल मिल्स कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुंबई - 400013 या टोल फ्री क्र. 1800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं या आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं।

ग. शेयरधारक अद्यतित ई-वोटिंग अनुदेशों के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in के मुख-पृष्ठ पर निवेशक सेवाएं लिंक को भेंट दे सकते हैं।

15. वार्षिक साधारण बैठक में मतदान प्रक्रिया :

रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही वार्षिक साधारण बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा कार्यसूची मदों पर वोटिंग की जाएगी। जिन व्यक्तियों ने रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प लागू नहीं किया है वे बैठक के दिनांक को के स्थल पर आयोजित मतदान में सहभाग लेने और मत देने हेतु पात्र होंगे।

16. वार्षिक साधारण बैठक में संवीक्षक :

16वीं वार्षिक साधारण बैठक में आयोजित वोटिंग प्रक्रिया के लिए कार्यसूची मद क्रं 1, 2 और 3 के संबंध में अन्य शेयरधारकों के साथ मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे संवीक्षक का कार्य करेंगे।

17. ई-वोटिंग का परिणाम और बैठक में मतदान :

वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल बाद सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण कथन :

मद क्र. 2 : एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू इत्यादि के माध्यम से पूंजी की उगाही

- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक को 31.03.2019 को बेसल-III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का न्यूनतम 10.875% सीआरएआर बनाए रखना है, जिसमें 5.50% की न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी (सीईटी 1) की एक शर्त शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बैंकों को मार्च 2016 से मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष 0.625% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) प्रदान करना चाहिए और यह सीसीबी सीईटी 1 के रूप में होना चाहिए। तथापि, भारिबैं ने 31.03.2019 से 31.03.2020 तक 0.625% के अंतिम ट्रेंच का आस्थगित कार्यान्वयन किया है। बेसल III ढांचे के अनुसार 31.03.2019 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.86% था जिसमें 9.88% के (सीसीबी सहित) सीईटी 1 के साथ टियर-I पूंजी (सीसीबी सहित) 9.91% थी। सीसीबी के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और वार्षिक व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक ने ₹3000/- करोड़ की पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है।
- उपर्युक्तानुसार आवश्यक पूंजी को केंद्र सरकार से पूंजी सहयोग सहित एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन इत्यादि के माध्यम से बाजार से उगाहा जाना प्रस्तावित है। इन विकल्पों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और विद्यमान बाजार स्थितियों के अनुसार किया जाएगा।
- भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य ऐसे प्राधिकारियों के अनुमोदन से और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुमोदन एवं सेबी तथा सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संगत दिशानिर्देशों/ विनियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित इक्विटी पूंजी उगाही जाएगी।
- निदेशक मंडल ने 29 अप्रैल, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से ₹3000/- करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की इक्विटी पूंजी की उगाही करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया तथा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की।
- एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू इत्यादि के माध्यम से ₹3000/- करोड़ तक पूंजी उगाहने के लिए 21 जून, 2018 को आयोजित 15वीं वार्षिक साधारण बैठक में बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। सेबी विनियमों के अनुसार संकल्प की वैधता ऐसे क्यूआईपी के लिए बारह माह हेतु प्रतिबंधित है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शेयरधारकों का अनुमोदन एतद्वारा एक बार पुनः मांगा जाता है।
- जारी इक्विटी शेयरों को लाभांश सहित बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ हर प्रकार से समरूप रैंक किया जाएगा।
- बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा उपर्युक्त संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति की कोई सचि अथवा सरोकार नहीं है।



मद क्र. 3 : 31.03.2019 को बैंक की संचयी हानि का समंजन

- बैंक 31.03.2019 को ₹7360,29,19,342.43 (रुपए सात हजार तीन सौ साठ करोड़ उनतीस लाख उन्नीस हजार तीनसौ बयालीस और तिरालीस पैसे मात्र) की संचयी हानि के समंजन का प्रस्ताव करता है, जिसके लिए समंजन के दिनांक को बैंक के शेयर प्रीमियम एवं राजस्व आरक्षित खाते के जमा हेतु बकाया शेष का उपयोग किया जाएगा
- उक्त प्रस्तावित शेयर प्रीमियम आरक्षित राजस्व कमी का प्रभाव, यदि अनुमोदित होती है और अंतिम रूप दिया जाता है, व संचयी हानि होगी जो 31.03.2019 को ₹7360,29,19,342.43 (रुपए सात हजार तीन सौ साठ करोड़ उनतीस लाख उन्नीस हजार तीनसौ बयालीस और तिरालीस पैसे मात्र) रही, जो तदनुसार कम की जाएगी।
- उक्त समंजन बैंक की वित्तीय स्थिति की सही और स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करेगा और किसी भी अनुपात जैसे कि प्रति शेयर अंकित मूल्य, इक्विटी पर वापसी (आरओई), प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) को प्रभावित नहीं करेगा।
- उक्त समंजन बैंक को इसकी सवितरणयोग्य आरक्षितियों के सुधार हेतु सहायक होगा। साथ ही बैंक अपनी सही वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने में सक्षम होगा जो शेयरधारकों के लिए लाभकारी होगा क्योंकि उनकी धारिताएं बेहतर मूल्य अर्जित करेंगी और साथ ही बैंक को उसके शेयरधारकों के लाभ हेतु और अधिक अवसरों की प्राप्ति में भी सक्षम बनाएगा जो एक व्यवहार्य समय-सीमा के भीतर लागू प्रावधानों के अनुसार लाभांश भुगतान के रूप में शामिल होगा। यह प्रस्ताव बैंक को एक समयबद्ध तरीके से अपनी टर्न अराउंड योजनाओं को प्राप्त करने हेतु बेहतर स्थिति में लाएगा।
- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार कोई प्रदत्त पूंजी जो गुम गई है या उपलब्ध आस्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, के निरस्तिकरण द्वारा इसकी प्रदत्त पूंजी को कम करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है या शेयर प्रीमियम खाते के समक्ष संचयी हानियों के समंजन हेतु प्रतिबंध नहीं है।
- चूंकि संचयी हानियों के समंजन के उद्देश्य हेतु बैंक के शेयर प्रीमियम खाते का प्रस्तावित उपयोग एक पूंजी कमी माना जाना है, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बीबीए) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से मांगा जा रहा है जो शेयरधारकों के अनुमोदन के साथ एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से बैंक की प्रदत्त पूंजी की कमी की अनुमति देता है।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) के अनुसार जब बैंक शेयर प्रीमियम खाते से किसी राशि या राशियों का विनियोजन करता है तो यह ऐसे विनियोजन के दिनांक से इक्कीस दिनों के भीतर होगा और ऐसे विनियोजन से संबंधित परिस्थितियों को विस्तार से बताते हुए तथ्य की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को की जाएगी। बैंक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर इस आवश्यकता का अनुपालन करेगा।
- शेयर प्रीमियम खाते की कमी जिसमें शेयर प्रीमियम खाते के जमा हेतु बकाया राशि की कमी द्वारा लाभ व हानि खाते में नामे शेष का समंजन शामिल है, अपने शेयरधारकों के प्रति बैंक द्वारा किसी प्रतिफल के उन्मोचन का पात्र नहीं होती। तदनुसार बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयर प्रीमियम खाते की कमी पश्चात शेयरधारिता पद्धति अपरिवर्तित रहेगी।

क्र.	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते की कमी से पूर्व		शेयर प्रीमियम खाते की कमी के पश्चात	
		धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	प्रवर्तक की धारिता : भारत सरकार	5386578326	92.49	5386578326	92.49
2	गैर प्रवर्तक धारिता : पब्लिक	437530974	07.51	437530974	07.51
	कुल	5824109300	100.00	5824109300	100.00

* 30.04.2019 को शेयरधारिता

- शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकार पूर्वाग्रहित रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। निदेशक मंडल ने 29 अप्रैल, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक और इसके शेयरधारकों के श्रेष्ठ हित के लिए शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग के उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है और इसीलिए शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश की जाती है।
- बैंक का कोई भी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर ऊपर उल्लिखित प्रस्तावों में सच नहीं रखता है या कोई सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 21 मई 2019

स्थान : पुणे

(ए. एस. राजीव)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



Bank of Maharashtra

Head Office: Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

Notice

Notice is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Thursday, the 27th June, 2019 at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005 to transact the following:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 2

To raise Equity Capital through FPO/Rights issue/QIP/ Preferential issue etc.,

TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, PASS, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“The Act”), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (“The Scheme”) and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (“The Regulations”), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“ICDR Regulations”), as amended up to date / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹10 each, aggregating to not more than ₹10000/- crore (Rupees Ten Thousand Crore only) being within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the Shareholders, Employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies - private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Portfolio Investors (“FPIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/ securities of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be either by way of Public issue, Rights issue, Qualified Institutional Placements (QIPs), Preferential issue or in combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to issue shares to investors at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations), the Act, the provisions of the Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission



and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.

RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/ securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorisation to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or to Executive Director/(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."



Item No. 3

To set off the accumulated losses of the Bank as of 31.03.2019.

TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, PASS, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), Section 17(2) of The Banking Regulation Act, 1949 (BR Act), including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the Bank’s accumulated losses of ₹7360,29,19,342.43 (Rupees Seven Thousand Three Hundred Sixty Crores Twenty Nine Lacs Nineteen Thousand Three Hundred Forty Two and Paise Forty Three only) as at 31.03.2019 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account and Revenue Reserve Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2019-20.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board for the said purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit.”

By order of Board of Directors

Date : 21st May, 2019
Place: Pune

(A.S. Rajeev)
Managing Director and CEO

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No. 2 and 3 at the meeting is annexed hereto.
2. **Appointment of Proxy:**
A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. As per Regulation 70(vi) of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B” as annexed to the Notice.
The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of Bank of Maharashtra, addressed to Company Secretary Head Office, ‘Lokmangal’, 1501, Shivajinagar, Pune - 411005, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on **Friday, 21st June, 2019.**
3. **Appointment of Authorised Representative:**
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m **Friday, 21st June, 2019.**
4. **Attendance Slip-Cum Entry Pass (The Attendance Slip):**
For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the Venue voting by electronic means to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be.
Shareholders, who have already exercised their votes through remote e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting.
5. **Book Closure:**
The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from the **Friday, 21st June, 2019 to Thursday, 27th June, 2019** (both days inclusive) for the purpose of 16th Annual General Meeting for the year 2018-19.
6. The route map showing directions to reach the venue of the Annual General Meeting is annexed.
7. The Board of Directors of the Bank has not recommended dividend for the financial year 2018-19.



8. Request to Shareholders:

Please note that copies of the Bank's Annual Report 2018-19 and AGM Notice in physical form have been dispatched separately using the services of Indian Post/ courierto those Shareholders who have not registered their email IDs with the Bank/RTA and in soft copy by email to those shareholders who have registered their email ids with the Bank/RTA. The AGM Notice and Annual Report is also available on the website of the Bank i.e. <https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.asp> The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

- Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/Demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

9. Members are requested to support this Green Initiative by registering/ updating their e-mail addresses with the Depository Participant (in case of Shares held in dematerialised form) or with MCS Share Transfer Agent Limited / Bank (in case of Shares held in physical form) in the prescribed form which can be downloaded from the Bank's website at <https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.asp>

10. Consolidation of Folios:

The shareholders holding shares in physical form in identical order of names under more than one folio/account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

11. Dematerialization of Physical Holdings:

SEBI has recently amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 1st April 2019. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They will need to convert them to demat form compulsorily if they wish to effect any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted by the RTA.

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in securities market. Shareholders holding shares in electronic format, therefore, are requested to submit their PAN to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. Shareholders holding shares in physical form may submit their PAN and other details to the Bank's R&T Agent in accordance with SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated 20th April 2018.

12. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of the Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 and 2010-11 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund". The dividend for the year 2011-12 remaining unclaimed/ unpaid will be transferred to the said fund within the prescribed time limits.

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years (2011-12 onwards) are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Department at Pune on the following address:

MCS Share Transfer Agent Ltd., (RTA)

Unit: Bank of Maharashtra,
A - 209, 2nd Floor, C- Wing, Gokul Industrial Estate, Sagbaug,
Marol Co-op Industrial Area, Behind Times Square, Andheri (E),
Mumbai - 400059
Tel: 022 28516020 / 21/ 22 /23
Email: subodh@mcsregistrars.com /
mparase@mcsregistrars.com

Bank of Maharashtra,

Investors' Services Department,
'Lokmangal', 1501, Shivajinagar,
Pune - 411 005
Tel: 020 25511360
Email: compsec@mahabank.co.in /
investor_services@mahabank.co.in

13. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**



As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda item either through remote e-voting or voting at the meeting.

14. E-Voting process:

a) CUT-OFF DATE FOR AGENDA ITEM NO. 1, 2 and 3:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders in respect of agenda items No.1, 2 and 3 shall be reckoned as on **Thursday, 20th June, 2019**.

b) REMOTE E-VOTING:

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. **Remote E-voting is optional.** Shareholders of the Bank holding shares either in Physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date** may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders **from 09:00 a.m. on Monday, 24th June, 2019 till 05:00 p.m. on Wednesday, 26th June, 2019 and the e-voting platform will be disabled thereafter.**

I. The process and manner for remote e-voting are as under:

a) Follow steps to cast E-vote:

- (i) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evotingindia.com/>
- (ii) Click on Shareholder – **Login**
- (iii) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- (iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> • Members who have not updated their PAN with the Bank/ RTA/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank/ RTA's records in order to login. <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

- (vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the relevant EVSN for the relevant <BANK OF MAHARASHTRA> on which you choose to vote.
- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.



(xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

For Agenda Items No.1,2 and 3

(xiii) On the voting page, the number of shares as held by the Shareholder of the Bank as on the **Cut-off Date** (20th June, 2019) will appear.

(xiv) In respect of Agenda items no.1,2 and 3, you may click on the assent or dissent as the case may be. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "SUBMIT" and also "CONFIRM" when prompted.

(xv) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the agenda item, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xviii) If you are holding shares in electronic form and have forgotten the login password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xix) **Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.**

(xx) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

a) Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.

b) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and cc to scrutiniser@snaco.net

c) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

d) The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

e) A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

b) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or you may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, 'A' Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mills Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400 013 or contact at a toll free number 1800-22-5533 or you may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

c) Shareholders may visit Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in – Investor Services link on home page for updated e-voting instructions.

15. VOTING PROCESS AT THE AGM:

The voting on the agenda item shall be done by remote e-voting as well as by voting by electronic means at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate and vote at the voting to be conducted at the venue of the AGM.

16. SCRUTINIZERS AT AGM:

M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, Thane shall act as Scrutinizer along with another shareholder with respect to agenda item nos. 1, 2 and 3 for the voting process to be conducted at the 16th Annual General Meeting.

17. RESULTS OF EVOTING AND VOTING AT THE MEETING:

The Results of the voting at the AGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank ie www.bankofmaharashtra.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT:

ITEM NO. 2: TO RAISE CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS ISSUE/QIP/ PREFERENTIAL ISSUE ETC.,

(i) As per RBI guidelines under Basel III the Bank should maintain a minimum CRAR of 10.875% of its Risk Weighted Assets (RWA) as of 31.03.2019, including stipulation of the minimum Common Equity Tier I Capital (CET 1) of 5.50%. As per the RBI prescribed phased programme, the banks should provide every year Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% from March 2016 to March 2019 and the CCB should be in the form of CET 1. However, RBI has deferred implementation of the last tranche of 0.625% from 31.03.2019 to 31.03.2020. The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.03.2019 was at 11.86% as per Basel III, of which Tier I capital (including CCB) was 9.91%, with CET 1 (including CCB) of 9.88%. To meet the additional requirement on account of CCB and to provide necessary capital for the annual business growth, Bank has assessed a Capital requirement of around ₹ 3000/- crore for the financial year 2019-20.

(ii) The required capital as above is proposed to be raised from market by way of FPO/Rights Issue/QIP/ Preferential issue etc., including Capital support from Central Government. These options will be exercised by the Bank as per the requirement and based on the prevailing market conditions.



- (iii) The equity capital as above said will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (iv) The Board of Directors at its meeting held on 29th April, 2019 had given their approval to raise an equity capital upto ₹3000/- crore (including share premium) through the different available options and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- (v) The approval of the Shareholders of the Bank was obtained in the 15th Annual General Meeting held on 21st June, 2018 for raising of capital through FPO/Rights Issue/QIP/ Preferential issue etc., upto ₹3,000/- crore. As per the SEBI Regulations, the validity of the resolution is restricted to twelve months for such QIPs. Keeping in view the future requirements, the approval of the shareholders of the Bank is hereby sought once again.
- (vi) The equity shares issued shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.
- (vii) None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

ITEM NO. 3: SET OFF THE ACCUMULATED LOSSES OF BANK AS OF 31.03.2019:

- (i) The Bank proposes to set off the accumulated losses of ₹7360,29,19,342.43 (Rupees Seven Thousand Three Hundred Sixty Crores Twenty Nine Lacs Nineteen Thousand Three Hundred Forty Two and Paise Forty Three only) as at 31.03.2019 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium and Revenue Reserve Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2019-20.
- (ii) The effect of the aforesaid proposed Share Premium and Reserve Revenue Reduction, if approved and finalised, would be that the accumulated losses, which as on 31.03.2019 stood at ₹7360,29,19,342.43 (Rupees Seven Thousand Three Hundred Sixty Crores Twenty Nine Lacs Nineteen Thousand Three Hundred Forty Two and Paise Forty Three only) will accordingly stand reduced.
- (iii) The said set off will present the true and fair view of the financial position of the Bank and will not affect any ratios such as Book value per share, Return on Equity (ROE), Earning per share (EPS).
- (iv) The said set off will help the Bank to improve its distributable reserves. The Bank will also be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plans in a time-bound manner.
- (v) While The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost, or is unrepresented by available assets, there is no specific provision or prohibition to set-off the accumulated losses against the Share Premium and Revenue Reserve account.
- (vi) As the proposed utilization of Share Premium and Revenue Reserve account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which permits the reduction of paid up capital of the Bank with the approval of the shareholders by way of a Special Resolution.
- (vii) Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium and Revenue Reserve Account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period.
- (viii) The reduction of Share Premium and Revenue Reserve account which involves set off of debit balance in P&L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium and Revenue Reserve account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium and Revenue Reserve account will remain unchanged.



Sr. No	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
		Number of Equity shares held	Percentage of Shareholding	Number of Equity shares held	Percentage of Shareholding
1	Promoter's Holding: GOI	5386578326	92.49	5386578326	92.49
2	Non Promoter Holding: Public	437530974	07.51	437530974	07.51
	Total	5824109300	100.00	5824109300	100.00

*Shareholding as on 30.04.2019

- (ix) The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected. The Board of Directors at its meeting held on 29th April, 2019 have approved the above proposal of utilization of Share Premium and Revenue Reserve account in the best interests of the Bank and its shareholders and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- (x) None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of Board of Directors

Date : 21st May, 2019
Place: Pune

(A.S. Rajeev)
Managing Director and CEO



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय: “लोकमंगल”, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास
गुरुवार, दिनांक 27 जून 2019 को सुबह 10.30 बजे
अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
लोकमंगल, 1501 शिवाजीनगर, पुणे 411005 में
16वीं वार्षिक साधारण बैठक

उपस्थिति पर्ची
(उपस्थिति के पंजीकरण के समय सौंपा जाना है)

एतद्वारा मैं बैंक की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य / प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी / ग्राहक आईडी क्र.	धारित शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय: “लोकमंगल”, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

गुरुवार, दिनांक 27 जून 2019 को सुबह 10.30 बजे
अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
लोकमंगल, 1501 शिवाजीनगर, पुणे 411005 में
16वीं वार्षिक साधारण बैठक

प्रवेश पास
(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखा जाए)

स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य / प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी / ग्राहक आईडी क्र.	धारित शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास को बैठक हाल में प्रवेश करने के लिए विधिवत हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा जो उन्हें बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना है।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

HEAD OFFICE: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune-411005

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

16th Annual General Meeting, Thursday, 27th June, 2019 at 10.30 a.m.

At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

I hereby record my presence at the 16th Annual General Meeting of the Bank.

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/ DPID & CLIENT ID No.	Number of Shares held
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

HEAD OFFICE: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune-411005.

16th Annual General Meeting, Thursday, 27th June, 2019 at 10.30 a.m.

At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/ DPID & CLIENT ID No.	Number of Shares held
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय : “लोकमंगल”, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005.

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फॉर्म

विनियमों के विनियम 70(iii) के अनुसार
(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने व हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो क्र.		डीपी आईडी क्र.	
		ग्राहक आईडी क्र.	
यदि बेकागजीकृत नहीं हैं		यदि बेकागजीकृत हैं	

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

_____ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को अथवा

इनके न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____

_____ राज्य _____ को **गुरुवार, दिनांक 27 जून, 2019** को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब

जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे, 411005 में आयोजित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हितधारकों की 16 वीं वार्षिक साधारण बैठक

और इसके स्थगित होने पर होनेवाली बैठक में मेरे/ हमारी ओर से और मेरे/ हमारे लिए वोट करने हेतु मेरे/ हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करती हूँ।

_____ वार, दिनांक _____ 2019 को हस्ताक्षरित

नाम : _____

पता : _____

कृपया ₹1/-
का राजस्व
टिकिट
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

(पहले नाम वाले / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर)

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने व उसे प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि -
 - वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में इस पर उसके द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नाम वाले शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों। यह नोट किया जाए कि प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए अधिकार/ एक समुचित प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसके नियुक्ति के संकल्प की एक प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाना है, संलग्न की जानी है।
- प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए, यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो उस पर उसके अंगूठे का निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, एश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
- प्रॉक्सी फॉर्म
 - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति के साथ वार्षिक साधारण बैठक के दिनांक से कम से कम **चार दिन पूर्व** अर्थात **शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2019 को कार्य-समाप्ति समय शाम 5.00 बजे** या उससे पूर्व बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग, “लोकमंगल”, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 के पास जमा हो जाना चाहिए।
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक की उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया गया हो।
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगी।
- यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो ग्राहियों के पक्ष में विकल्पस्वरूप दी गई हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
- एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को वार्षिक साधारण बैठक में स्वयं मत देने की पात्रता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो।
- नियुक्त किए गए किसी भी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

HEAD OFFICE: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune-411005

Form B

PROXY FORM

(As per Regulation 70 (iii) of The Regulations)

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd .Folio No.		DP ID No.	
		Client ID No.	
If not Dematerialised		If Dematerialised	

I/We,resident(s) of in the district of.....in the State ofbeing a shareholder/s of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri / Smt..... resident ofin the district of..... in the State ofOR failing him/her, Shri/Smt..... resident ofin the district of..... in the State ofas my / our proxy to vote for me / us and on my/ our behalf at the 16th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra to be held on **Thursday, 27th June, 2019** at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005 and at any adjournment thereof.

Signed this day of.....2019.

Name.....

Address.....

.....

Please
affix ₹ 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

(Signature of the first named/sole shareholder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorised in writing.
 - In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of resolution appointing him/her as a duly authorized representative / power to appoint a Proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/ her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
- The Proxy together with
 - The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the Company Secretary, Investor Services Department, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours at **05.00 P.M on Friday, 21st June, 2019.**
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
- The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हरित पहल - कागजरहित बनें (गो पेपरलैस)!!!

प्रिय शेयरधारकों,

निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार ("मंत्रालय") ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों द्वारा पेपरलैस अनुपालनों को अनुमत करते हुए "कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हरित पहल" का आरंभ किया है। हाल ही की दिनांक 21.04.2011 के परिपत्र क्र.17/2011 और दिनांक 29.04.2011 के परिपत्र 18/2011 के अनुसार अब कंपनियां शेयरधारकों के पंजीकृत ई-मेल पत्तों पर इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा अपने शेयरधारकों को विभिन्न सूचना/ दस्तावेज (उदाहरण के लिए एजीएम का नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि) भेज सकती हैं। यह बैंक, शेयरधारकों और वृहत् रूप से समाज के लिए एक स्वागतयोग्य पहल है क्योंकि इससे तीव्र संप्रेषण सुविधाजनक होगा और बड़े पैमाने पर कागज की खपत कम होगी तथा शेयरधारकों का हरित परिवेश में योगदान प्राप्त होगा।

ई-कम्यूनिकेशन के लिए पंजीकरण के लाभ -

- संप्रेषण प्राप्ति में तीव्रता ;
- डाक पारवहन में दस्तावेज का गुम होना टाला जाना ;
- कागज की कम खपत और वृक्ष संरक्षण ;
- कागज और डाक पर लागत की बचत ;

यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रत्येक शेयरधारक के लिए हरित पहल में सहयोग का एक सुनहरा अवसर भी होगा।

यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं -

- **भौतिक रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों के लिए :** कृपया एजीएम नोटिस में दिए गए ई-मेल आईडी पंजीकरण फॉर्म समुचित रूप से भरकर भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संप्रेषण(णों) की प्राप्ति के लिए बैंक/ आरएटी के पास अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करें।
- **डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों के लिए :** कृपया अपने बैंक या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी), जिसके पास आपका डी मैट खाता खोला गया है, के पास अपने ई-मेल आईडी अद्यतित करें।

कृपया नोट करें कि यदि आप अब भी सभी दस्तावेजों और संप्रेषणों की हार्ड प्रति / भौतिक प्रति प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो बैंक इसे आपको बिना किसी लागत के उपलब्ध कराई जाएगी।

आप बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meetings-Updates.asp> से ई-मेल आईडी पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस हरित पहल में आपके सक्रिय सहयोग की आशा है।

ई-मेल आईडी पंजीकरण फॉर्म

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

ए-209, दूसरी मंजिल, सी- विंग, गोकुल इंडस्ट्रियल इस्टेट, सागबाग

मारोल को-ऑप. इंडस्ट्रियल एरिया, टाहम स्क्वेयर के पीछे अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059

फोन: (022) 28516020/21/22

फोन: helpdesk@mcsregistrars.com/mparase@mcsregistrars.com

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय : ई-मेल आईडी का पंजीकरण

मैं बैंक से भविष्य में सभी संप्रेषण यथा नोटिस, व्याख्यात्मक कथन/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राप्त करने हेतु सहमत हूँ। कृपया ई-मेल के माध्यम से सभी नोटिस/ दस्तावेज इत्यादि भेजने के लिए अपने अभिलेख में मेरा ई-मेल आईडी पंजीकृत करें।

1. प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	
2. रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक/ डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
3. पता	
	पिन कोड -
4. ई-मेल आईडी	
5. संपर्क क्रमांक	

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है।

भवदीय,

दिनांक

स्थान



GREEN INITIATIVE IN CORPORATE GOVERNANCE – GO PAPERLESS!!!

Dear Shareholder,

The Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('Ministry'), has recently taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In terms of the recent circulars bearing no. 17/2011, dated 21.04.2011 and 18/2011 dated, 29.04.2011, whereby companies can now send various notices/ documents (e.g. Notice of AGM, Annual Reports etc.) to their shareholders through electronic mode at the registered e-mail addresses of the shareholders. It is a welcome move for the Bank, Shareholders and Society at large as it will facilitate faster communication and reduce paper consumption to a great extent and allow shareholders to contribute towards the greener environment.

Advantages of Registering for Email ID:

- Receive communication promptly;
- Avoid loss of document in postal transit;
- Reduce paper consumption and save trees;
- Save costs on paper and postage.

This is also a golden opportunity for every Shareholder of Bank of Maharashtra (the Bank) to contribute to this green initiative.

Below are the requirements for availing this facility:

- **For shareholders having shares in physical mode:** Please get your Email ID registered with the Bank/ RTA to receive communication(s) through electronic mode in future, by sending duly filled in Email ID Registration form given in AGM Notice to the Registrar & Transfer Agent.
- **For shareholders having shares in dematerialized mode:** Please update your Email ID with your Depository Participant(s), where you have demat account.

Kindly note that, if you still wish to get a physical copy of all the communication and documents, the Bank will provide the same at no extra cost to you.

You can also download the Email ID Registration form from Bank's website <https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.asp>

Email ID Registration form

To,

MCS Share Transfer Agent Limited

Unit: Bank of Maharashtra

A-209, C-Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate, Sagbaug,

Marol Co-op Industrial Area, B/H Times Square, Andheri (East), Mumbai - 400 059.

Tel.: (022) 28516020/21/22

Email: helpdesknum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

Dear Sir/ Madam,

Sub: Registration of Email ID

I agree to receive all future shareholders communication like Notice, Explanatory Statement/ Annual Report/ Documents etc. from the Bank in electronic mode. Please register my e-mail id in your records for sending all the notices / documents etc. through e-mail.

1. First / Sole Shareholder's name:	
2. Registered Folio No/ DP ID & Client ID.:	
3. Address:	
	Pin code:
4. Email ID:	
5. Contact Nos.:	

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete.

Yours faithfully,

Date:
Place:

(Name and signature of First / Sole Shareholder)



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

ईसीएस फॉर्म

(केवल भौतिक रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों के लिए)

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

ए-209, दूसरी मंजिल, सी- विंग, गोकुल इंडस्ट्रियल इस्टेट, सागबाग
मारोल इंडस्ट्रियल एरिया, टाहम स्क्वेयर के पीछे अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059

फोन: (022) 28516020/21/22

Email: helpdeskmm@mcsregistrars.com/mparase@mcsregistrars.com

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय : डाक पते के साथ बैंक खाते/ पैन/ ई-मेल आईडी के ब्यौरों का अद्यतन

मैं / हम अनुरोध करता/ करते हैं कि मेरे/ हमारे फोलियो क्रमांक में निम्नलिखित जानकारी को अद्यतन/ दर्ज करें -

1.	प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	
2.	रजिस्टर्ड फोलियो क्रमांक	
3.	पता	पिन कोड -
4.	ई-मेल आईडी	
5.	पैन क्रमांक	
6.	संपर्क क्रमांक	
7.	बैंक खाते का विवरण	
	क. बैंक का नाम	
	ख. शाखा नाम और पता	पिन कोड -
	ग. खाता क्रमांक	
	घ. बैंक शाखा का आईएफएससी कूट	
	ड. एमआईसीआर क्रमांक	

(*उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया पते के साक्ष्य, पैन और अपने निरस्त कोरे चेक (वर्तमान सक्रीय खाते का) की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है।

भवदीय

दिनांक:

स्थान :

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

ECS Form

(for Shareholders holding physical shares only)

To,
MCS Share Transfer Agent Limited
Unit: Bank of Maharashtra
A-209, C-Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate, Sagbaug,
Marol Co-op Industrial Area, B/H Times Square, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Tel.: (022) 28516020/21/22
Email: helpdeskmm@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

Dear Sir/ Madam,

Sub: Updation of details of Bank Account / PAN/ Email ID along with postal address.

I/ We request you to record/ update the following information against my/ our Folio No:

1. First / Sole Shareholder's name:	
2. Registered Folio No.:	
3. Address:	Pin code:
4. Email ID:	
5. PAN No.:	
6. Contact Nos.:	
7. Particulars of Bank Account:	
a. Bank Name	
b. Branch Name and its address	Pin code:
c. Bank Account Number	
d. IFSC code of the Bank Branch	
e. MICR No.	

(Please enclosed self-attested copy of Address proof, PAN and cancelled Cheque (of presently active a/c) for verification of the above details).

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete.

Yours faithfully,

Date:

Place:

(signature of Shareholder)

एजीएम स्थल पर पहुंचने हेतु रोड मैप
Route Map to Reach Venue of AGM

स्थान: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005
Location: Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक